

सुरक्षा का दायित्व निभा रही हैं "महिला पुलिस बीट अधिकारी"

मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम ।

जनपद महोबा में महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत संचालित कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक 28.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस नोडल मिशन शक्ति श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया गया तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया गया । साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारे में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया है ।



अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत फायर टीम महोबा द्वारा जनपद के विभिन्न बैंकों की अग्निसुरक्षा का ऑडिट किया गया, वहां लगे अग्निशमन उपकरणों को चेक किया गया एवम् पाई गई कमियों को पूर्ण करने के उचित दिशा निर्देश दिए गए।

बैंको में अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आज दिनांक- 28.09.2024 को जनपद महोबा में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री देवेश तिवारी के निकट पर्यवेक्षण में अग्निशमन टीम महोबा द्वारा जनपद महोबा में अवस्थित विभिन्न बैंकों में अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत फायर ऑडिट किया गया एवं वहाँ लगे अग्निशमन उपकरणों को चेक किया गया वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों/स्टाफ को अग्निशमन उपकरण चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक को अग्निशमन व्यवस्था से संबंधित उपकरणों को स्थापित किये जाने व समय-समय पर उनको रिफिल कराये जाने के निर्देश देते हुए दमकल सम्बन्धी उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, इस दौरान आग बुझाने के विभिन्न तरीकों को बताया गया एवं सभी को अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु जागरुक करते हुए जागरुकता पम्पलेट्स का वितरण किया गया।



थाना श्रीनगर की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री शिवपाल सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई।

प्रशि0उ0नि0 सत्यम मिश्रा मय हमराह कां0 शीलू यादव के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त राघवेन्द्र तिवारी पुत्र जगप्रसाद तिवारी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 18 क्वार्टर ठेका देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए कस्बा व थाना श्रीनगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 अर्जुन सिंह मय हमराह कां0 शीलू यादव व कां0 विवेक कुमार के नेतृत्व में गठित हुई द्वितीय पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त सन्तोष शिवहरे पुत्र बेनीप्रसाद शिवहरे हाल निवासी मो0 बेलाताल तिराहा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा स्थायी पता मो0 भटीपुरा महाराजपुर जनपद छतरपुर म0प्र0 जिसके कब्जे से 20 क्वार्टर ठेका देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

उक्त अवैध शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आधार पर थाना श्रीनगर में क्रमशः मु0अ0सं0 204/24 व मु0अ0सं0 206/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण- प्रथम पुलिस टीम-

1. उ0नि0यूटी सत्यम मिश्रा 2. कां0 शीलू यादव।

द्वितीय पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अर्जुन सिंह, 2. कां0 शीलू यादव, 3. कां0 विवेक सिंह।



थाना समाधान दिवस के अवसर पर सुनी गयी फरियादियों की समस्यायें, प्राप्त हुयी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किए जाने हेतु सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:- 28.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा थाना खरेला व थाना चरखारी में उपस्थित रहकर थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनसुनवाई की गयी, इस दौरान एसडीएम चरखारी श्री प्रदीप कुमार व सम्बन्धित राजस्व एवं पुलिस अधि./कर्म. की मौजूदगी में फरियादियों से उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया जिसके क्रम में फरियादियों को आश्वासन कर उनकी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किये जाने हेतु मौजूद राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित करते हुये मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

जनपद महोबा के सम्पूर्ण थानों में आयोजित हुए थाना समाधान दिवस के अवसर पर कुल शिकायतें **25** प्राप्त हुई जिनमें से **19** राजस्व विभाग से सम्बन्धित थी व **06** शिकायतें पुलिस विभाग से सम्बन्धित थी, कुल प्राप्त शिकायतों में **03** शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष शिकायतों के सम्बन्ध में संबंधित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करते हुये मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत निस्तारण किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

जनपदीय पुलिस व प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल / थाना पर थाना समाधान दिवस आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए उनके त्वरित व विधिक निस्तारण हेतु संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना खरेला एवं थाना चरखारी का औचक निरीक्षण किया गया, थाना खरेला व थाना मुस्कुरा जनपद हमीरपुर के बॉर्डर को सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेक किया गया, पुलिसकर्मियों की वार्ता कर दिए आवश्यक निर्देश-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा आज दिनांक- 28.09.2024 को सर्किल चरखारी क्षेत्र के 02 थाने क्रमशः थाना खरेला एवं थाना चरखारी का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों/रजिस्टर, बैरिक, मैस, मालखाना, हवालात, महिला हेल्पडेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, कंप्यूटर/ सीसीटीएनएस कक्ष, आईजीआरएस एवं अन्य लम्बित प्रकरण इत्यादि का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण अभिलेखों के उचित रख-रखाव के साथ अद्यावधिक किये जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर निर्माणाधीन भवनों का अवलोकन करते हुए परिसर में साफ-सफाई का निरीक्षण किया इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा माल मुकदमाती/लवारिस वाहनों के नियमानुसार डिस्पोजल किये जाने तथा वर्षा ऋतु के दृष्टिगत उगी घास/जमा कीचड़ के लिए साफ-सफाई अभियान चलाये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाहाजा के पुलिस कर्मियों से वार्ता कर उनके कार्यों की समीक्षा की गई साथ ही उनको बीट बुक अपडेट रखने व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरते जाने व अपराधियों का चिन्हाकन कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी को महिला अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशीलता बरते जाने व त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी त्यौहारों के दौरान जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना खरेला महोबा व थाना मुस्कुरा जनपद

हमीरपुर के बॉर्डर क्षेत्र (इण्ट्री/एग्जिट प्वाइंट) को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेक किया गया है, जिसके क्रम में थानाध्यक्ष खरेला को थाना मुस्कुरा पुलिस से परस्पर समन्वय बनाये रखते हुए बॉर्डर पर दिन एवं रात्रि के समय आपराधिक तत्वों पर प्रभावी रोकथाम एवं सुदृढ़ पुलिसिंग के द्वारा नागरिकों के मध्य सुरक्षा का माहौल स्थापित करने हेतु सीमा क्षेत्र में औचक गस्त किये जाने व आपस में लाभप्रद सूचनाओं का आदान-प्रदान किए जाने तथा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाये जाने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर थानाध्यक्ष खरेला सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया, थानाध्यक्ष चरखारी गणेश कुमार, पीआरओ अरविन्द सिंह गौर सहित थाना स्थानीय पर नियुक्त समस्त अधि०/कर्म० मौजूद रहे।

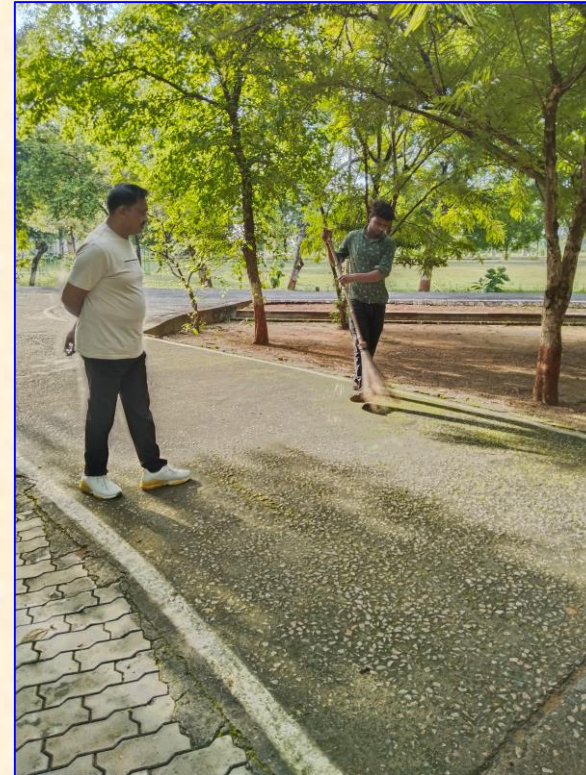


पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर पुलिस लाइन महोबा परिसर में स्वच्छता हेतु चलाया गया विशेष साफ-सफाई अभियान...

आज दिनांक 28.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार के नेतृत्व में पुलिस लाइन में उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण के द्वारा सफाई अभियान के अंतर्गत परेड ग्राउंड व कार्यालय के आस पास सामूहिक श्रमदान कर साफ - सफाई की गई है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा विगत दिनों पुलिस लाइन महोबा भ्रमण/निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन परिसर में साफ-सफाई अभियान चलाकर परिसर में स्वच्छता बनाये रखने सम्बन्धी निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में विशेष साफ - सफाई अभियान शुरू किया गया। जिसमें अधिकारी/कर्मचारीगणों के द्वारा बढ-चढकर भाग लिया गया तथा अपने आस-पास के क्षेत्र को साफ किया गया।

अभियान के दौरान सभी से अपील की के वह जहां भी निवासित/नियुक्त हैं वहां का कुड़ा-कचरा एक निश्चित स्थान पर फेंके और समय-समय पर उसको नियमानुसार नष्ट भी करें। जिससे हम भी स्वस्थ रहेंगे तथा हमारे आस-पास का माहौल भी स्वच्छ बना रहेगा तथा संक्रामक बीमारी भी नहीं फैल पायेगी।



आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर अग्निशमन टीम द्वारा माँ. दुर्गा पण्डालों का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों को परखा गया, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आगामी नवरात्र पर्व के मद्देनजर अग्निशमन विभाग द्वारा जनपदवासियों को अग्निसुरक्षा के प्रति सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से आज दिनांक 28.09.2024 को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा श्री देवेश तिवारी के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा जनपद महोबा मुख्यालय अवस्थित दुर्गा पण्डालों में अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत निरीक्षण किया गया एवं मानक के अनुरूप पंडानों को लगाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जिससे पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की आग दुर्घटना की संभावना को खत्म किया जा सके।

इसी क्रम में रोडवेज बस स्टैण्ड जाकर वहां मौजूद रोडवेज चालकों को एवम् कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरण चलाने का प्रशिक्षण दिया गया साथ ही रोडवेज बसों में लगे अग्निशमन उपकरण एवम् कार्यालय परिसर में लगी अग्निशमन व्यवस्था चेक की गई पाई गई कमियों को दूर करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

इस दौरान अग्निशमन कर्मचारियों द्वारा अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु जागरुकता पम्पलेट वितरित किये गये।



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने

एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दौरान जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 28.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी थानाध्यक्ष गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ०नि० सनय कुमार, चौकी प्रभारी कस्बा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्याया० एस०सी०/एस०टी० एक्ट (महोबा) द्वारा निर्गत वारण्ट के अनुपालन में ०१ नफर वारंटी अभियुक्त रामेश्वर पुत्र बापू उम्र करीब ४९ वर्ष निवासी मु०रामनगर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित परिवाद नं० ०९/१७ धारा १४७/१४८/१४९/३२३/५०४/५०६/४२७ भादवि व ३(१)१० SC/ST Act थाना चरखारी के वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

१. उ०नि० सनय कुमार चौकी प्रभारी कस्बा थाना चरखारी
२. उ०नि० हार्दिक सिंह
३. का० जयदीप पटेल

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

रामेश्वर पुत्र बापू उम्र करीब ४९ वर्ष निवासी मु० रामनगर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा



थाना खन्ना की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दौरान जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे अभियुक्तों का सत्यापन/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 27.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना खन्ना प्रभारी निरीक्षक, विनोद कुमार द्वारा गठित की गई उ.नि. राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास कि सूचना पर सुरहा ग्योडी चौराहे के पास बहद ग्राम ग्योडी से 01 नफर अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ करन कबाडी पुत्र परमलाल उम्र करीब 32 वर्ष नि0 ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा को हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होने पर अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ करन कबाडी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना खन्ना में मु.अ.सं. 137/2024 धारा 3/25 A ACT का अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद तमंचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त-

ओमप्रकाश उर्फ करन कबाडी पुत्र परमलाल उम्र करीब 32 वर्ष नि0 ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ.नि. राधेश्याम सिंह
2. उ.नि. सुनीत कुमार पाण्डेय
3. उ.नि. अनुरुद्ध प्रताप सिंह
4. कां. अंकित कुमार



Samsung Galaxy A04e
September 28, 2024